

“सिन्डिकेट पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 9]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 जनवरी 2011—पौष 24, शक 1932

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-4/18/2011.—छत्तीसगढ़ नगरपालिका निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) की धारा 132 की उपधारा (1) के खंड (ख) तथा छ. ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्र. 37 सन् 1961) की धारा 127 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, जलकर की न्यूनतम मासिक दर निम्नानुसार विहित करती है, अर्थात् :-

संशोधन

क्र. (1)	प्रयोजन (2)	नगर निगम (3)	नगरपालिका (4)	नगर पंचायत (5)
1.	घरेलू कनेक्शन	रु. 200 मासिक (संपत्तिकरदाता) रु. 60 मासिक (गैर-संपत्तिकरदाता)	रु. 180 मासिक (संपत्तिकरदाता) रु. 60 मासिक (गैर-संपत्तिकरदाता)	रु. 180 मासिक (संपत्तिकरदाता) रु. 60 मासिक (गैर-संपत्तिकरदाता)
2.	आवास सह व्यवसाय	रु. 350/-	रु. 300/-	रु. 300/-
3.	व्यवसायिक	रु. 800/-	रु. 600/-	रु. 600/-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	होटल (5 कमरे तक) अति. प्रति कमरे	रु. 800/- रु. 100/-	रु. 600/- रु. 80/-	रु. 600/- रु. 80/-
5.	भोजनालय/रेस्टोरेंट 10 टेबल तक 15 टेबल तक 15 टेबल से अधिक	रु. 800/- रु. 1200/- रु. 2000/-	रु. 600/- रु. 900/- रु. 1700/-	रु. 600/- रु. 900/- रु. 1700/-
6.	औद्योगिक	रु. 1000/-	रु. 800/-	रु. 800/-
7.	संस्थागत :— शासकीय निजी	रु. 800/- रु. 800/-	रु. 600/- रु. 600/-	रु. 600/- रु. 600/-

इसी प्रकार बहुमंजिलीय आवासीय भवनों में घरेलू कनेक्शन की दर नगर निगम क्षेत्र में रु. 200/- प्रतिमाह नगरपालिका क्षेत्र में रु. 180/- प्रतिमाह और नगर पंचायत क्षेत्र में रु. 180/- प्रतिमाह, प्रति कनेक्शन (प्रति फ्लैट) के अनुसार होगी.

क्र. (1)	नगरीय निकाय (2)	आयकर दाता (3)	गैर आयकर दाता (4)
1.	नगर निगम	5000/-	2000/-
2.	नगरपालिका	4000/-	1500/-
3.	नगर पंचायत	3000/-	1500/-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्रमांक एफ 5-4/18/2010. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना एफ 5-4/18/2010 दिनांक 12-01-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

Raipur, the 12th January 2011

NOTIFICATION